मे जारी हु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधि... डा0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या .../2023

मंदिर हनुमान जी महाराज पैलेसरोड धौलपुर जरिये पुजारी हरीसिंह उर्फ रामू पुत्र स्व0 श्री सुल्तानसिंह ... हनुमान जी महाराज पैलेस रोड धौलपुर ---प्रार्थी

बनाम

1-मदनसिंह ... स्व0 दिलवरसिंह जाति ठाकुर निवासी पैलेस रोड धौलपुर
2-राज0 स... जरिये तहसीलदार धौलपुर

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा0 दी0

निर्णय

दिनांक-18.06.2024

प्राथी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 8 जा0 दी0 इस आशय का पेंश किया कि ...दी का वादपत्र न्यायालय में चला था जिसे दिनांक 13.01.2023 को अदम पैरवी व अदम हाजरी ...रिज कर दिया गया है वादी भावनात्मक आधार पर प्रकरण को न्याय प्राप्ति हेतु कन्टेस्ट करता ... आ रहा है उसकी गैरहाजरी वादी स्वयं के बीमार हो जाने के कारण हो गई वह अपने अभिभाष... को भी सूचित नही कर पाया। प्रस्तुत वादन्याय की खातिर सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया ... नितिगत व न्याय संगत है उन्होने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना... स्वीकार कर प्रकरण में पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जबाब में अंकित किया कि मूल वाद दिनांक 18.9. 2007 ... साक्ष्य वादी नियत रहा वादी को तमाम अन्तिम अवसर दिये जाने के पश्चात् भी दिनांक 3. 11.20... को साक्ष्य वादी अवसर बन्द कर दिया गया वास्तव में दावा साक्ष्य वादी के अभाव में खारि... किया जाना चाहिए था। तारीख पेशी 3.11.2020 को जब वादी की साक्ष्य समाप्त कर दी तो फिर ...करण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना तथा प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किया जाना न्याय...संगत नहीं रहा । दिनांक 3.11.2020 को साक्ष्य वादी समाप्त किये जाने के बाद एक लम्बे समय के बाद वादी ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते साक्ष्य वादी मौका दिये जाने अर्थात आदेश दिनांक 3. 11.20 को रिकॉल करने बावत प्रस्तुत किया जिसकी नकल प्रतिवादी को नहीं दी गई प्रकरण जब वादी प्रार्थना पत्र में चलता रहा इस प्रकार वादी घोर लापरवाह है प्रार्थी ने बीमार होने बावत को दस्तावेज पेश नही किया है प्रकरण रेस्टोर करने का समुवित कारण नही लिखा है। उन्होने प्राथी पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

प्रकरण में मूल दावा की पत्रावनी को संलग्न किया गया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकार सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्को में कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण मदिर की ओर से मंदिर के पुजारी की ओर से कन्टेस्ट किया जा रहा है वह बीमार हो जाने के कारण कुछ समय के लिए प्रकरण में उपस्थित नही हुए जिस कारण प्रकरण को दिनांक 13.01.2023 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया प्रार्थी जब वापिस आया तो जानकारी होने पर दिनांक 30.01.2023 को प्रकरण को नम्बर लिये जाने का आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया । उन्होने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क था कि प्रार्थी के द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा रही है उसकी ओर से साक्ष्य पेंश नही किये जाने पर साक्ष्य बन्द भी हो चुकी है प्रार्थी की ओर से उसके बीमार होने के संबंध में कोई साक्ष्य पेंश नही की गई है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन है उन्होने प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज़ करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव मूल दावा की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का दावा दिनांक 13.01.2023 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है और प्रार्थी वादी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा0 दी0 दिनांक 30.01.2023 को प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार प्रार्थी वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि में पेंश किया गया है। अप्रार्थी की ओर से अपने जबाब में प्रार्थी वादी की मूल वाद में साक्ष्य बन्द हो जाना एंव उसको रेस्टोर कराने का प्रस्तुत आवेदन की नकल उन्हे नही दिया जाना करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है किन्तु यह तथ्य प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा0 दी0 में निर्धारण करने के नहीं है प्रार्थना पत्र में यह देखा जाना है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है या नही। प्रस्तुत प्रकरण मंदिर की ओर से पेंश किया गया है जिसकी पैरवी मंदिर के पुजारी की ओर से की जा रही है और उनकी ओर से दावा को पुनः नम्बर पर लेने का आवेदन समयावधि में पेंश भी किया है अतः हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 9 नियम 9 जा0 दी0 स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 9 नियम 9 जा0 दी0 स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद पुनः नम्बर पर लिया जाकर पुनः दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्ल मूल वाद रहें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर